1/नि0 वि0 स्था0–31/2025..................

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

पटना, दिनांक ....

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, मॉरिसन भवन, पटना के पत्रांक–365 दिनांक 08.05.2026 के आलोक में फिल्म शूटिंग अनुमति हेतु Single Window Clearance System के प्रभारी संचालन हेतु सुश्री डेजी ईरानी, विशेष कार्य पदाधिकारी, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. उक्त पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(रामाशंकर)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 3735(अनु)**/पटना, दिनांक :** 05/06/26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी एवं आई0टी0 प्रबंधक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

Rakaus 4/6/26

सरकार के अपर सचिव

E:\AMARJEET KUMAR\2026\(6) JUNE

पत्रांक–88 / 2023–24–/365/

बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड

मॉरिसन भवन, पटना

प्रेषक,

प्रणव कुमार, भा०प्र०से०
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि०
–सह–सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभाग, बिहार सरकार

पटना, दिनांक 08/05 / 2026

विषयः– फिल्म शूटिंग अनुमति हेतु Single Window Clearance System के प्रभावी संचालन के लिए विभागीय नोडल पदाधिकारी के नामांकन के संबंध में।

महाशय,

राज्य में हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों, वेब सीरीज एवं अन्य ऑडियो–विजुअल प्रोडक्शन की शूटिंग को प्रोत्साहित करने तथा अनुमति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड द्वारा Single Window Clearance System को क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित अनुमतियों को एकीकृत कर एकल मंच के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, ताकि फिल्म निर्माताओं / प्रोडक्शन हाउसेस को सुगम एवं त्वरित सेवा प्रदान की जा सके।

उक्त व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक विभाग में एक सक्षम नोडल पदाधिकारी का नामांकन अपेक्षित है, जो फिल्म शूटिंग से संबंधित आवेदनों / प्रस्तावों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करेंगे तथा विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित करेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग से एक उपयुक्त पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए निम्नलिखित विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जायः–

1. नाम :–
2. पदनाम :–
3. मोबाईल नं० :–
4. ईमेल आईडी :–
5. कार्यालय का पता :–

कृपया उक्त विवरण इस पत्र के प्राप्ति के 07 (सात) दिनों के भीतर ई–मेल / पत्र के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्तावों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण संभव हो सके।

विश्वासभाजन,

प्रबंध निदेशक।